RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 324
दि. 28.03.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

छोटे अपराधों से राहत की दिशा में बड़ा कदम: लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 पेश, सियासी बहस तेज

(जीएनएस)। नई दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में शुक्रवार का दिन एक महत्वपूर्ण विधायी पहल के नाम रहा, जब केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। यह विधेयक अपने स्वरूप और प्रभाव के कारण केवल एक कानूनी संशोधन भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे शासन व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद, सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक व्यापक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे छोटे-मोटे अपराधों के बोझ से लोगों को राहत मिलेगी और कारोबार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा, जबकि विपक्ष ने इसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

यह विधेयक लोकसभा में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा पेश किया गया। इसे पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य दंडात्मक प्रणाली को कम कर उसे अधिक तार्किक और व्यावहारिक बनाना है। उनके अनुसार, कई ऐसे प्रावधान हैं जिनमें छोटी-छोटी चूक या प्रक्रियात्मक त्रुटियों को भी आपराधिक श्रेणी में रखा गया है, जिससे आम नागरिक और छोटे व्यवसायी अनावश्यक कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं। इस विधेयक के माध्यम से ऐसे 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे लोगों को जेल जाने के बजाय केवल जुर्माना भरना होगा।

सरकार का मानना है कि यह कदम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देगा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सहज बनाएगा। विधेयक के तहत कुल 23 मंत्रालयों द्वारा लागू 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 67 प्रावधान ऐसे हैं, जिन्हें आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से बदला जाएगा। इसके साथ ही दंड व्यवस्था को अपराध की गंभीरता

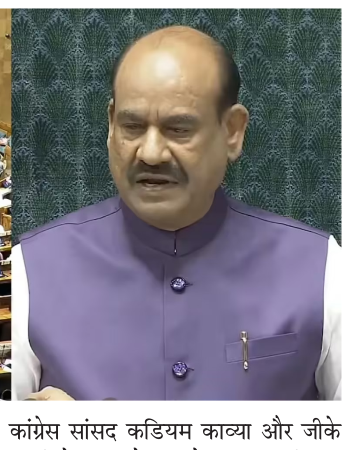

के अनुरूप बनाया जाएगा और अपील की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि किसी भी नागरिक को न्याय पाने में कठिनाई न हो। हालांकि, इस विधेयक को लेकर संसद में तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों ने इसका विरोध करते हुए इसे जल्दबाजी में लाया गया कदम बताया। कांग्रेस सांसद कडियम काव्या और जीके पदवी ने इस विधेयक को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया और इसे पुनः चयन समिति या किसी संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की। उनका तर्क था कि इस तरह के व्यापक बदलावों को बिना गहन समीक्षा के लागू करना भविष्य में प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब आपराधिक प्रावधानों को हटाकर केवल जुर्माने का विकल्प दिया जाएगा, तो इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों में भय कम हो सकता है। इससे कुछ मामलों में जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। सांसदों ने इसे एक 'मनमाना कदम' बताते हुए कहा कि चयन समिति की रिपोर्ट में असहमति दर्ज करने का प्रावधान भी इसलिए रखा गया है, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी पक्षों की राय को गंभीरता से लिया जा सके।

सरकार ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक किसी भी गंभीर अपराध को हल्का नहीं करता, बल्कि केवल उन प्रावधानों को संशोधित करता है जो तकनीकी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों से जुड़े हैं। जितिन प्रसाद ने संसद में स्पष्ट किया कि इस पर पहले ही व्यापक चर्चा हो चुकी है और चयन समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद ही इसे दोबारा पेश किया गया है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था की मजबूती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और केवल उन्हीं प्रावधानों को बदला जा रहा है, जिनसे आम लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है।

इस विधेयक की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले वर्ष 2025 में पीयूष गोयल ने इसी विषय पर एक विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जिसे बाद में चयन समिति के पास भेज दिया गया था। 17 मार्च को इसे समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए वापस लिया गया और अब संशोधित रूप में फिर से प्रस्तुत किया गया है। यह पहल वर्ष 2023 में लागू किए गए जन विश्वास कानून की सफलता से प्रेरित मानी जा रही है, जिसमें 19 मंत्रालयों के 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विधेयक को संतुलित तरीके से लागू किया गया, तो यह भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार साबित हो सकता है। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी में रखना न केवल न्याय प्रणाली पर बोझ बढ़ाता है, बल्कि इससे आम नागरिकों और छोटे उद्यमियों का मनोबल भी प्रभावित होता है। ऐसे में इस विधेयक को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, बशर्ते इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखा जाए।

वहीं दूसरी ओर, कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि दंड के डर को पूरी तरह समाप्त कर देना भी उचित नहीं होगा। कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि अनुशासन बनाए रखना भी होता है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि जुर्माने की राशि और अन्य दंडात्मक प्रावधान इतने प्रभावी हों कि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

कुल मिलाकर, जन विश्वास विधेयक 2026 एक ऐसा विधायी प्रयास है, जिसने संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगह व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। यह एक ओर जहां प्रशासनिक सुधार और नागरिक सुविधा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद में इस पर क्या अंतिम निर्णय होता है और इसे किस रूप में लागू किया जाता है।

यह विधेयक केवल कानून में बदलाव का मामला नहीं है, बल्कि यह उस सोच का भी प्रतिबिंब है, जिसमें शासन को दंडात्मक के बजाय विश्वास आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यह समय ही बताएगा कि यह प्रयास देश की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को कितना प्रभावी और संतुलित बना पाता है।

आधुनिक युद्ध की तैयारी में बड़ा कदम: 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों से मजबूत होगी भारत की सैन्य शक्ति

(जीएनएस)। नई दिल्ली से आई एक महत्वपूर्ण खबर ने देश की सुरक्षा और सामरिक क्षमता को लेकर नई ऊर्जा भर दी है। भारत सरकार ने अपनी सेनाओं को और अधिक आधुनिक, सक्षम और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 2.38 लाख करोड़ रुपये के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा लिया गया, जो देश की सैन्य जरूरतों के अनुसार हथियारों और प्रणालियों की खरीद पर अंतिम मुहर लगाती है। इस फैसले को न केवल वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है, बल्कि भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिहाज से भी यह एक दूरदर्शी कदम है। भारत की भौगोलिक स्थिति और बदलते वैश्विक हालातों को देखते हुए सेना के आधुनिकीकरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस बड़े निवेश के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन सौदों के जरिए भारतीय थलसेना और वायुसेना दोनों को नई तकनीकों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा, जिससे उनकी मारक क्षमता और प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय

सुधार होगा।

थलसेना के लिए जिन प्रमुख प्रणालियों को मंजूरी मिली है, उनमें 'एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रणाली वास्तविक समय में हवाई खतरों की पहचान और उनकी निगरानी करने में सक्षम होगी। इसके माध्यम से दुश्मन के हवाई हमलों का पहले से ही पता लगाकर उन्हें विफल किया जा सकेगा। इसके साथ ही 'उच्च क्षमता वाला रेडियो रिले सिस्टम' युद्ध के मैदान में संचार को अधिक सशक्त और भरोसेमंद बनाएगा। आधुनिक युद्धों में संचार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सही समय पर सही सूचना ही रणनीति को सफल बनाती है।

तोपखाने की ताकत को बढ़ाने के लिए 'धनुष गन सिस्टम' को शामिल किया जाना भी इस फैसले का अहम हिस्सा है। यह स्वदेशी तकनीक से विकसित एक अत्याधुनिक तोप प्रणाली है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इसके आने से भारतीय सेना की फायरपावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा 'आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन' की खरीद से सेना को दुश्मन के भारी और मजबूत टैंकों को भी आसानी से नष्ट करने की क्षमता मिलेगी। यह युद्ध के मैदान में निर्णायक बढ़त दिलाने वाला साबित हो सकता है।

सीमा क्षेत्रों में निगरानी को और अधिक मजबूत करने के लिए 'रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम' को भी मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली बिना किसी रनवे के भी काम कर सकती है, जिससे दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में भी निगरानी आसान हो जाएगी। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जहां पारंपरिक हवाई अड्डे या रनवे बनाना संभव नहीं होता। इसके माध्यम से सीमा पर घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

वहीं भारतीय वायुसेना के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मध्यम परिवहन विमानों की खरीद से वायुसेना की लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे सैनिकों और उपकरणों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ ही लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली S-400 प्रणाली की अतिरिक्त खरीद को भी मंजूरी दी गई है। यह प्रणाली पहले से ही भारत की वायु रक्षा प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ मानी जाती है और इसकी अतिरिक्त इकाइयों के आने से देश की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी।

आधुनिक युद्ध में ड्रोन तकनीक की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए 'कॉम्बैट ड्रोन्स' को भी वायुसेना के बेड़े में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ये ड्रोन बिना पायलट के जोखिम के दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम होंगे। इससे न केवल सैन्य अभियानों की सफलता दर बढ़ेगी, बल्कि सैनिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा सुखोई-30 एमकेआई के एयरो इंजन के ओवरहाल को भी मंजूरी दी गई है। ओवरहाल की प्रक्रिया के तहत इंजन के हर हिस्से की गहन जांच की जाती है, खराब या घिसे हुए पुर्जों को बदला जाता है और उसे फिर से पूरी क्षमता के साथ काम करने लायक बनाया जाता है। इससे न केवल विमान की उम्र बढ़ती है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता भी बनी रहती है।

कोयला आवंटन मामले में बड़ा फैसला: पूर्व सांसद विजय दर्डा सहित सभी आरोपी बरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली में बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक अहम मोड़ तब आया, जब राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने पूर्व सांसद विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, इसलिए सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष घोषित किया जाता है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब कोयला आवंटन से जुड़े मामलों को लेकर लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी और कई मामलों में अलग-अलग निर्णय सामने आ चुके हैं। इस मामले में अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों का गहन परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त ठोस आधार नहीं है।

मामले की सुनवाई सुनैना शर्मा की अदालत में हुई, जहां अन्य आरोपियों को भी राहत दी गई। अदालत ने कारोबारी

मनोज कुमार जायसवाल और एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड को भी बरी कर दिया। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के बांदर क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था और इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए 50 से अधिक मामलों की श्रृंखला का हिस्सा माना जाता रहा है। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि संबंधित कंपनी ने कोयला ब्लॉक प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन में भ्रामक और गलत जानकारी प्रस्तुत की थी। साथ ही यह भी कहा गया कि तत्कालीन राज्यसभा सांसद विजय दर्डा ने इस आवंटन के लिए अनुचित तरीके से सिफारिश की थी। इन आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के प्रावधान लगाए गए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आवंटन प्रक्रिया के समय जो भी आवश्यक जानकारी थी, वह पहले से ही संबंधित सरकारी अधिकारियों के पास उपलब्ध थी। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि किसी भी गवाह ने यह साबित नहीं किया कि आरोपियों ने किसी प्रकार का प्रलोभन दिया या धोखाधड़ी की। साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि न तो आपराधिक साजिश के ठोस प्रमाण हैं और न ही बेईमानी के इरादे का कोई स्पष्ट संकेत मिलता है।

इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे इस मामले में सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उन्हें साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य भी आवश्यक होते हैं।

कोयला आवंटन मामलों को लेकर देश में पहले भी काफी राजनीतिक और कानूनी बहस हो चुकी है। इन मामलों ने न केवल नीति निर्माण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया था। ऐसे में इस तरह के फैसले यह संकेत देते हैं कि न्यायिक प्रणाली प्रत्येक मामले का मूल्यांकन तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही करती है। अंततः, इस मामले में अदालत का निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और साक्ष्य आधारित निर्णय ही सर्वोपरि होते हैं। जिन आरोपों को साबित नहीं किया जा सका, उनके आधार पर किसी को दोषी ठहराना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे उन्हें एक बड़ी कानूनी राहत मिली है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़की: इजरायल-ईरान संघर्ष और तेज, मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बढ़ा खतरा

(जीएनएस)। दुबई/तेहरान। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जहां इजरायल और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष थमने के बजाय और तेज होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म कराने के दावों के बीच भी दोनों देशों ने शुक्रवार को एक-दूसरे पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हालात ऐसे बन चुके हैं कि फिलहाल इस युद्ध के खत्म होने के कोई स्पष्ट आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि संघर्ष के और व्यापक होने की आशंका बढ़ती जा रही है।

इजरायली सेना ने ईरान के भीतर गहराई तक जाकर उसके मिसाइल निर्माण ठिकानों और हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। विशेष रूप से तेहरान के मध्य स्थित उन ठिकानों पर बमबारी की गई, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य आधुनिक हथियारों के निर्माण का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा पश्चिमी ईरान में मौजूद मिसाइल लॉन्चर और हथियार भंडारण स्थलों पर भी हमले किए गए। इजरायल का दावा है कि ये सभी ठिकाने सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे और इन्हें नष्ट करना आवश्यक था।

ईरानी मीडिया के अनुसार, कोम शहर के परदीसन इलाके में हुए इजरायली हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। इस हमले ने आम नागरिकों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल और गहरा कर दिया है। ईरान समर्थित समाचार एजेंसियों ने इसे नागरिक क्षेत्रों पर किया गया हमला बताया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता और आलोचना बढ़ सकती है।

इजरायल ने सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए बेरूत में भी हवाई हमले किए। लेबनान में पहले से मौजूद तनाव के बीच यह कदम संघर्ष को और जटिल बना सकता है। वहीं इजरायल के भीतर भी लगातार सायरन बजते रहे, जो ईरानी मिसाइल हमलों की चेतावनी देते हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है।

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि हमले यहीं नहीं रुकेंगे, बल्कि और तेज होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वह इजरायली नागरिकों पर हमले बंद करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब इजरायल अपने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाएगा और उन सभी ठिकानों को निशाना बनाएगा, जो ईरान की सैन्य क्षमताओं को समर्थन देते हैं। उनके बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और भी उग्र हो सकता है।

दूसरी ओर, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखी। उसने इजरायल के साथ-साथ खाड़ी देशों—कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन—पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों के बाद कई जगहों पर अफरा-तफरी मच गई। इजरायल में बम शेल्टर की ओर भागते समय भगदड़ में चार लोग घायल हो गए। यह स्थिति दर्शाती है कि आम नागरिक इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं।

सऊदी अरब ने भी पुष्टि की है कि उसकी राजधानी रियाद को निशाना बनाने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, कुल 17 ड्रोन नष्ट किए गए, जिससे एक बड़े हमले को टाल दिया गया। हालांकि, इस घटना ने खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

संघर्ष का दायरा तब और बढ़ गया जब कुवैत ने अपने प्रमुख बंदरगाहों पर हमले की पुष्टि की। शुवैख बंदरगाह और मुबारक अल कबीर बंदरगाह पर हुए हमलों में भारी नुकसान हुआ है। ये बंदरगाह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत विकसित किए जा रहे थे। इस हमले को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह पहली बार है जब इस संघर्ष के दौरान चीन से जुड़ी किसी परियोजना को निशाना बनाया गया है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध के और फैलने की आशंका बढ़ गई है।

मानवीय दृष्टिकोण से यह युद्ध बेहद विनाशकारी साबित हो रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 1900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजरायल में 18 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में भी 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें तीन इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। इसके अलावा 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत और वेस्ट बैंक सहित खाड़ी देशों में भी कई लोगों की जान गई है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि अब यह एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का रूप लेता जा रहा है, जिसमें कई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं। वैश्विक शक्तियों की भूमिका, ऊर्जा आपूर्ति पर असर और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी अब इससे जुड़ते जा रहे हैं।

कुल मिलाकर, मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है। जहां एक ओर कूटनीतिक प्रयासों की बात की जा रही है, वहीं जमीन पर हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रहे हमले, बढ़ती मौतें और फैलता हुआ दायरा इस बात का संकेत हैं कि यह संघर्ष फिलहाल थमने वाला नहीं है। अगर जल्द ही कोई ठोस कूटनीतिक पहल नहीं की गई, तो यह युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है, जिसके परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं।

संपादकीय

सीमा-कर पर टकराव

सही मायनों में पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में सीमा प्रवेश शुल्क को लेकर जारी विवाद ने देश के संघीय ढांचे में व्याप्त एक गहरी खामी को ही उजागर किया है। जो बताता है कि देश के राज्यों की राजस्व जरूरतों तथा अंतर्राज्यीय आवागमन के सिद्धांतों के बीच टकराव के कारण मौजूद हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश फिलहाल वित्तीय संकट की चुनौती से रूबरू है। उसने अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिये दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर राज्य में प्रवेश करने का शुल्क लगभग दोगुना करने का निर्णय लिया है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश ने यह फैसला अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए लिया था। लेकिन यह वित्तीय फैसला बाद में हिमाचल प्रदेश व पंजाब में राजनीतिक व आर्थिक विवाद का रूप ले चुका है। यही वजह है इस फैसले से ज्यादा प्रभावित राज्य पंजाब ने भी हिमाचल प्रदेश के वाहनों पर ऐसे ही कर बढ़ाने की धमकी दे दी है। वास्तव में हिमाचल सरकार का यह फैसला दूरगामी दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है। यह सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक हद तक पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर है। ऐसे में इस कदम का राज्य के पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। यह बढ़ाया गया प्रवेश शुल्क पर्यटकों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। खासकर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले कम बजट के साथ यात्रा पर निकले पर्यटकों के लिये, जो कि सप्ताहांत में आने वाले पर्यटकों का एक बड़ा हिस्सा है। निस्संदेह, इस फैसले से ऐसे पर्यटक हतोत्साहित हो सकते हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि मौजूदा प्रतिस्पर्धी पर्यटन के परिदृश्य में टैक्स बढ़ाए जाने पर पर्यटक वैकल्पिक पहाड़ी पर्यटक स्थलों की ओर रुख कर सकते हैं। राज्य द्वारा बाद में इस कर-वृद्धि के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लेना, निश्चित रूप से इस मुद्दे की आर्थिक संवेदनशीलता को ही दर्शाता है।

यह भी एक हकीकत है कि दो राज्यों के बीच लिए गए कर बढ़ाने के ऐसे फैसलों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत होनी चाहिए। यह जानते हुए कि हिमाचल प्रदेश गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है, पंजाब की प्रतिक्रिया संवेदनशील ढंग से सामने आनी चाहिए थी। ऐसे में पंजाब की हिमाचल की तर्ज पर कर बढ़ाने की चेतावनी प्रतिशोधात्मक नीति पर चलने के अप्रिय फैसले को ही उजागर करती है। इस तरह की बदले में कर लगाने की नीति राजनीतिक दृष्टि से भले ही सुविधाजनक लगती हो, लेकिन आम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे निर्णय से दैनिक यात्रियों, परिवहन उद्योग से जुड़े लोगों और छोटे व्यवसायियों की आवाजाही बाधित हो सकती है। इनकी यात्रा की सुगमता सीमा पार सुचारू आवागमन पर निर्भर करती है। निर्विवाद रूप से दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय गलियारे व्यापार, श्रम गतिशीलता और क्षेत्रीय एकीकरण की जीवन रेखा के पर्याय होते हैं। यदि हम व्यापक स्तर पर इस समस्या को देखें तो यह घटनाक्रम देश के संघवाद की भावना पर भी प्रश्न उठाता है। यह एक हकीकत है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ढांचे द्वारा समर्थित हमारी आर्थिकी की संरचना का लक्ष्य आंतरिक व्यापार बाधाओं को कम करना है। दूसरे अर्थों में देखें कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर असमान रूप से लक्षित करके अतिरिक्त प्रवेश-कर लगाना, इस उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। जो अतीत की उस दोषपूर्ण 'चेक पोस्ट' अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है, जो तमाम विसंगतियों को लिए हुए थी। निर्विवाद रूप से ऐसे मामलों में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत होगी। यदि राज्य का राजस्व वृद्धि ही लक्ष्य है तो इसके लिये तर्कसंगत टोल प्रणाली को अपनाना होगा। वहीं दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़े लक्षित उपयोगकर्ता शुल्क जैसे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। साथ ही अंतर्राज्यीय संबंधों को टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने की जरूरत है। वह भी तब जब हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र और पंजाब के मैदानी इलाके आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पड़ोसी को साझेदार की बजाय राजस्व स्रोत के रूप में देखने की प्रवृत्ति दोनों के लिये नुकसान दायक साबित होगी।

मलयालम को ताकतवर बनाने का श्रेय लेने की होड़

> भाषायी अस्मिता के लिहाज से देखें तो केरल का यह कदम बेहद क्रांतिकारी और भारतीय भाषाओं के हित में है। लेकिन कर्नाटक की आपत्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल के कासरगोड जिले में मलयालम की बजाय कन्नड़ भाषी लोग ज्यादा है।

केरलम् में विधानसभा चुनावों के बीच मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलने का श्रेय लेने का सियासी खेल बढ़ता जा रहा है। राज्य का नाम केरलम् किया जाना और इसके हफ्तेभर बाद ही मलयालम को आधिकारिक भाषा की मंजूरी मिलना कुछ लोगों की नजर में भले ही संयोग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने की औपचारिकता भर बाकी है। इस संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा इन दोनों कदमों का श्रेय लेने की होड़ मचना स्वाभाविक है। लेकिन भाषा विधेयक को लेकर केरल की सीमाओं के बाहर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इसमें दो राय नहीं कि गैर हिंदीभाषी इलाके अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं। हिंदीभाषी राज्यों में अपनी हिंदी या स्थानीय भाषाओं को लेकर ऐसी सोच नहीं दिखती। मलयालम को केरलम् की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग बहुत पुरानी है। इस दिशा में पहला प्रयास करीब दस साल पहले कांग्रेस की अगुआई वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ की सरकार ने किया था। 2015 में ओमन चांडी सरकार ने इस विधेयक को पारित कराया था। लेकिन तब इस विधेयक पर पड़ोसी कर्नाटक सरकार ने कड़ा एतराज जताया था। जब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति ने इसे 1963 के ऑफिशियल भाषा एक्ट के नियमों को हटाकर जमा करने के सुझाव के साथ वापस भेज दिया था। फिर दस साल बाद मौजूदा वाममोर्चा की सरकार ने इसे नए रूप में पारित किया। इस बार भी कर्नाटक इस कानून का विरोध कर रहा है।

अब तक केरल में अंग्रेजी के साथ ही मलयालम को आधिकारिक भाषा के तौर पर प्रतिष्ठा रही है। लेकिन नए कानून के तहत सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10 तक मलयालम को पहली भाषा के तौर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाना जरूरी होगा। इसके साथ ही अदालती फैसलों और कार्यवाही भी अनिवार्य तौर पर मलयालम भाषा में अनूदित की जाएंगी। अब से राज्य विधानसभा में सभी बिल और अध्यादेश मलयालम में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही, अंग्रेजी में प्रकाशित महत्वपूर्ण केंद्रीय और राज्य कानूनों का भी मलयालम में अनुवाद होगा। नए कानून के तहत सूचना तकनीकी विभाग को मलयालम के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट विकसित करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। राज्य सचिवालय में मौजूदा पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (ऑफिशियल लैंग्वेज) विभाग का नाम बदलकर मलयालम भाषा विकास विभाग किया जा राह है। इन कदमों के साथ ही राज्य में मलयालम भाषा विकास निदेशालय भी गठित किया जाएगा।

भाषायी अस्मिता के लिहाज से देखें तो केरल का यह कदम बेहद क्रांतिकारी और भारतीय भाषाओं के हित में है। लेकिन कर्नाटक की आपत्तियों को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यहां ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल के कासरगोड जिले में मलयालम की बजाय कन्नड़ भाषी लोग ज्यादा है। राज्य मे इसी तरह तमिल, तुलु, गुजराती और कोंकणीभाषी लोग भी हैं। उनकी अपनी भाषाओं में पढ़ाई वाले स्कूल भी हैं। हालांकि मलयालम भाषा कानून का विरोध तमिल मूल के लोगों ने तो नहीं किया है, लेकिन कर्नाटक के तर्कों में उनकी भी बातें एक तरह शामिल हैं। कर्नाटक सरकार का तर्क है कि यह कानून केरल में रहने वाले कन्नड़ भाषी अल्पसंख्यकों की भाषाई अस्मिता के लिए खतरा है। यह कानून, कर्नाटक भाषियों के अधिकारों का उल्लंघन है। कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का तर्क है है कि कासरगोड और केरल के दूसरे कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अभी स्कूलों में कन्नड़ को पहली भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। केरल में स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाती रही है। इसलिए माना जाता है कि केरल में हिंदीविरोधी माहौल नहीं है। लेकिन दिलचस्प यह है कि केरल के विद्वान भी इस कानून के पक्ष में तर्क देते वक्त केंद्र सरकार पर केरल में हिंदी थोपने का आरोप लगाने से नहीं हिचक रहे। दिलचस्प यह है कि ऐसा ही आरोप कर्नाटक की ओर से लगाया जा रहा है, बस वहां हिंदी की जगह मलयालम को थोपे जाने की बात हो रही है।

केरल सरकार ने हालांकि सफाई दी है कि जिनकी मातृभाषा तमिल, कन्नड़, तुलु या कोंकणी है, उनके लिए भी कानून में प्रावधान हैं। इस कानून में इस बात की चर्चा है कि राज्य के भाषायी अल्पसंख्यक अपनी भाषा में राज्य सचिवालय, विभागों और स्थानीय सरकारी कार्यालयों से पत्राचार कर सकेंगे। इसके साथ ही, मलयालम के अलावा दूसरी मातृभाषा वाले छात्रों को नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। इसी तरह दूसरे राज्यों या विदेश से आने वाले छात्रों को नौंवी, दसवीं और हायर सेकेंडरी स्तर पर मलयालम की परीक्षा देने से छूट मिलेगी।

मलयालम को आधिकारिक भाषा बनाने का स्थानीय नागरिक स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस कानून के नाम से ही अलगाववादी और वर्चस्ववादी झलक मिलती है।, केरल के बौद्धिकों के एक वर्ग का कहना है कि बेहतर होता है कि इस कानून का नाम 'मलयालम भाषा एक्ट 2025' की जगह 'केरल स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2025' होता। इससे समावेशी संदेश जाता। यहां के बौद्धिकों का तर्क है कि इस विधेयक में मलयालम की जगह बेहतर होता कि राज्य में प्रयोग में लाई जाने वाली तमिल,कन्नड़, कोंकणी, तुलु और गुजराती का भी जिक्र होता। केरल में जंगलों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की अपनी भाषाएं भी हैं। वे मलयालम का इस्तेमाल कम करते हैं। इसलिए एक वर्ग का मानना है कि उनकी भाषाओं की अस्मिता की रक्षा का बोध भी इस कानून में होना चाहिए था। बेशक केरल के विधानसभा चुनाव में मलयालम को आधिकारिक दर्जा मिलना बड़ा मुद्दा होगा। राज्य की राजनीति में प्रभावी दखल देने की ताक में बैठी भाजपा, कांग्रेस और वाममोर्चा, सभी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां के बौद्धिक समाज की चिंता है कि इस विधेयक से राज्य में एक भाषा के वर्चस्व का भाव पैदा हो सकता है। ऐसा लगता है कि जिन लोगों की भाषा मलयालम नहीं है, उनकी प्रशासनिक और शासन से जुड़ी चिंताओं को अंग्रेजी के जरिए हल किया जा सकता है। लेकिन केरल के बौद्धिक मानते हैं कि राज्य के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा से इतर वाले लोगों की समस्याओं का समाधान अंग्रेज़ी के ज़रिए नहीं हो सकते। इसलिए भाषा विकास विभाग और निदेशालय को सिर्फ़ मलयालम भाषा तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि केरल की सभी भाषाओं के लिए होना होगा। केरल में मांग उठ रही है कि वहां के सिविल सर्विस सुधार विभाग को मलयालम भाषा विकास विभाग के रूप में बदल दिया जाना चाहिए। कानून में इस विभाग के पुनर्गठन और मलयालम भाषा व कास निदेशालय बनाने का प्रावधान है। यहां के भाषाशास्त्री इसे स्वागत योग्य कदम बता तो रहे हैं। लेकिन, इसमें मलयालम के साथ दूसरी भाषा समूहों का भी प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दे रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि भाषा का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। शायद यही वजह है कि मलयालम भाषा कानून के स्वागत के साथ ही दूसरी भाषाओं को तवज्जो देने की मांग हो रही है।

मातृभाषा से इतर समूहों से आने वाले लोग किसी भी भाषा को अवसरों और जरूरत के लिहाज से सीखते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया में मजबूरी की बजाय उत्साह जुड़ जाता है तो भाषाएं समृद्ध होती हैं और वे सौहार्द का प्रतीक बनती हैं। आधिकारिक भाषा बनने के बाद मलयालम भी उसी तरह उम्मीद की भाषा बने, शायद यही केरल के बौद्धिक चाहते हैं। मलयालमभाषियों की इस सोच से हिंदीभाषी विद्वानों, राजनेताओं और प्रशासनिक तंत्र को प्रेरित होना चाहिए।

प्रेरणा

मौन की शक्ति: सफलता का अनसुना रहस्य

वृंदावन की पावन धरा पर एक दिन एक जिज्ञासु युवक संत प्रद्युम्न जी के पास पहुंचा। उसके मन में जीवन को लेकर कई प्रश्न और इच्छाएं थीं। उसने संत के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से बोला कि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएँ जिससे उसका मार्ग सरल और उज्ज्वल हो जाए। संत ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा, उसे एक ताबीज दिया और साथ ही एक ऐसी सीख दी, जो किसी भी मंत्र से अधिक प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा कि जीवन में सफल होना है तो भले ही कभी पैर फिसल जाए, परंतु जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। इसके लिए मौन को अपनाना सीखो, क्योंकि मौन ही क्रोध की सबसे श्रेष्ठ औषधि है।

यह बात सुनकर युवक कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, परंतु उसके भीतर एक नई समझ का जन्म हो चुका था। वास्तव में, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन शक्ति है, जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। आज के इस शोर-शराबे और प्रतिस्पर्धा से भरे युग में, जहां हर कोई अपनी बात को सबसे ऊपर रखना चाहता है, वहीं मौन एक ऐसी साधना है, जो हमें भीड़ से अलग खड़ा करती है।

मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा लें या अन्याय के सामने चुप रह जाएं, बल्कि इसका अर्थ है सही समय पर सही शब्दों का चयन करना। अक्सर देखा जाता है कि गुस्से में या आवेश में कही गई बातें रिश्तों को तोड़ देती हैं और जीवन में पछतावे का कारण बनती हैं। यदि उसी क्षण व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले, तो वह अपने विचारों को संयमित कर सकता है और गलत निर्णय लेने से बच सकता है।

मौन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। जब हम शांत रहते हैं, तब हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यह आत्मज्ञान ही हमें बेहतर इंसान बनाता है और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया को समझना कठिन नहीं रहता।

संत प्रद्युम्न जी की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ कही गई बातों को खामोशी से सुन लेना चाहिए, क्योंकि समय स्वयं सबसे अच्छा उत्तर देता है। यह बात गहरी समझ की मांग करती है। जब कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है, तो हमारा अहंकार आहत होता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। लेकिन यदि हम उस क्षण मौन रहकर स्थिति को समझें, तो हम पाएंगे कि कई बार प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। समय के साथ सत्य स्वयं सामने आ जाता है और हमारी चुप्पी हमारी गरिमा को और भी ऊंचा कर देती है।

मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें धैर्यवान बनाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति हर छोटी-छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। वहीं जो व्यक्ति मौन रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वह धीरे-धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जाता है।

आज के समय में सोशल मीडिया और त्वरित प्रतिक्रियाओं के इस दौर में, लोग बिना सोचे-समझे अपनी राय व्यक्त कर देते हैं। इससे न केवल विवाद बढ़ते हैं, बल्कि व्यक्ति की छवि पर भी असर पड़ता है। यदि हम मौन की शक्ति को समझ लें और केवल आवश्यक होने पर ही बोलें, तो हम अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं।

मौन हमें सुनने की कला भी सिखाता है। जब हम कम बोलते हैं, तो हम दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुन पाते हैं। इससे हमें नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। एक सफल व्यक्ति वही होता है, जो केवल बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में भी कुशल होता है।

यह भी सत्य है कि मौन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां हमें अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी पड़ती है। लेकिन अंतर यह है कि हम कब और कैसे बोलते हैं। यदि हम सोच-समझकर और संयम के साथ बोलते हैं, तो हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक होता है। वहीं बिना सोचे-समझे बोले गए शब्द हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

मौन एक प्रकार की साधना है, जिसे अभ्यास के द्वारा विकसित किया जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। जब हम मौन को अपनाते हैं, तो हमारे भीतर एक शांति और संतुलन का अनुभव होता है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है।

अंततः, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति का भी प्रतिबिंब है। यदि हमारा मन शांत और संतुलित है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकते हैं। मौन हमें यही आंतरिक शक्ति प्रदान करता है।

संत प्रद्युम्न जी की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आंतरिक गुणों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मौन, संयम, धैर्य और आत्मनिरीक्षण जैसे गुण हमें न केवल सफल बनाते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं।

इसलिए, यदि हम वास्तव में अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें मौन की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। जब हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तब हम अपने जीवन को भी सही दिशा में ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। यही मौन का वास्तविक चमत्कार है, जो हमें भीतर से मजबूत बनाकर हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाता है।

बढ़ने लगी है विदेशी छात्रों की तादाद

हाल ही में 25 मार्च को वैश्विक उच्च शिक्षा सेवाओं का मूल्यांकन करने वाली अग्रणी कंपनी ब्रिटेन स्थित क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित 16वीं वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। भारत ने इस साल विभिन्न विषयों और संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में से 27 स्थान हासिल किए हैं, जो कि पिछले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए 12 स्थानों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। कह सकते हैं कि यह रैंकिंग भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की बढ़ती वैश्विक साख और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा गंतव्य देश बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में हर साल लगभग आठ प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां वर्ष 2022 में 39 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत आए थे, वहीं वर्तमान में लगभग 200 देशों के 72 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं। अब केंद्र सरकार ने 'स्टडी इन इंडिया' पहल के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 2 लाख विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। निःसंदेह, भारत वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब हर साल बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण कौशल, अनुसंधान सुविधाओं और उच्च शिक्षा के बाद विदेश में ही करिअर के अवसरों को पाने के मद्देनजर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार घट रही है।

भारत में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ने की कई वजहें हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में 'नेशनल एजुकेशन पॉलिसी' (एनईपी) 2020 के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। एनईपी के तहत एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने, मान्यता देने की व्यवस्था मजबूत करने, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल एजुकेशन का विस्तार करने का अभियान लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे गुणात्मक सुधार से भारत के शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मान्यता मिल रही है। वैश्विक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को भारत में लाने के मद्देनजर 19 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने की इजाजत दी गई है। इससे जिस वैश्विक शिक्षा के लिए पहले छात्रों को विदेश जाना पड़ता था, अब वही शिक्षा आसानी से भारत में ही मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। निश्चित रूप से विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी भारत में बड़ी संख्या में छात्र मिलने का लाभ है। भारत में उच्च शिक्षा की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। चूंकि वैश्विक यूनिवर्सिटीज भारत में डिग्री प्रदान कर सकती हैं, अतएव छात्रों के लिए विदेश जाने के खर्च और अनिश्चितताओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में ही लेना लाभप्रद है। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा के प्रमुख गंतव्य देश, खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन नियमों में सख्ती आई है और वीजा जांच के अलावा वित्तीय लागत बढ़ गई है।

हाल ही में प्रकाशित अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मार्च 2026 के मुताबिक पिछले वर्ष जनवरी से अगस्त 2025 के बीच अमेरिका द्वारा परमानेंट रेजिडेंट और टेंपरेरी वीजा मंजूरी में साल भर पहले की तुलना में 11 फीसदी की कमी आई है। इतना ही नहीं अमेरिका में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी रोजगार ढूंढ़ना मुश्किल हो गया है। सरकार हरसंभव तरीके से भारत को वैश्विक शिक्षा व डिजिटल शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के तहत शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न आवंटनों को वैश्विक शिक्षा और अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों के मद्देनजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इनोवेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल बिजनेस से सम्बद्ध करने संबंधी प्रभावी पहल की गई है।

भारत के पास बदलते हुए दौर में उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने के अवसर मौजूद हैं। देश को शिक्षा के तहत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में तेजी से उन्नत कौशल विकसित करने की रणनीति अपनाना होगी। देश में वैश्विक शिक्षा को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाकर खासतौर से एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया सहित कई विकसित और विकासशील देशों के छात्रों के कदम भारत की यूनिवर्सिटीज की ओर मोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। भारत को इंजीनियरिंग, प्रबंधन, स्वास्थ्य विज्ञान, डिज़ाइन, मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों की वैश्विक शिक्षा का हब बनाने के विशेष प्रयत्न करने होंगे। देश की यूनिवर्सिटीज को उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान की गुणवत्ता, प्रयोगशालाओं में निरंतर निवेश, वैश्विक संस्थानों के साथ आसान सहयोग, नियामक ढांचों के लिए कठोर मानकों के साथ यूनिवर्सिटिज को अधिक स्वायत्तता से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।

अभियान

आदर्शों की अमर गाथा: श्रीराम के जीवन से मिलने वाली शाश्वत प्रेरणा

भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में यदि किसी एक व्यक्तित्व को पूर्णता, मर्यादा और आदर्श का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है, तो वह हैं भगवान श्रीराम। उनका जीवन केवल एक कथा या आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन को दिशा देने वाला ऐसा प्रकाश है, जो युगों-युगों तक लोगों को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा है। उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला रामनवमी भारत ही नहीं, बल्कि विश्वभर में बसे हिंदू समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है, जिसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को बड़े ही श्रद्धा, उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है।

इस पर्व की विशेषता केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की गहराई, परंपराओं की समृद्धि और आस्था की शक्ति को भी दर्शाता है। हर वर्ष इस दिन अयोध्या में विशेष उत्सव आयोजित होते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सरयू नदी के पावन जल में स्नान कर भक्त अपने जीवन को पवित्र मानते हैं और पंचकोसी परिक्रमा कर प्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूरे नगर में भजन-कीर्तन, रामायण पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है।

श्रीराम का जन्म त्रेता युग में राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर हुआ था। उनका बाल्यकाल, युवावस्था और संपूर्ण जीवन अनुशासन, मर्यादा और आदर्शों से परिपूर्ण रहा। वे न केवल एक आदर्श पुत्र थे, बल्कि एक आदर्श भाई, पति, मित्र और राजा भी थे। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, तो वह न केवल स्वयं महान बनता है, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करता है।

उनके जीवन में करुणा और समानता की भावना का अद्भुत समावेश था। अहिल्या के उद्धार की घटना इसका सशक्त उदाहरण है। जब समाज ने उन्हें त्याग दिया था, तब श्रीराम ने उन्हें सम्मान दिया और यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है, जो पीड़ितों और उपेक्षितों के साथ खड़ा हो। इसी प्रकार शबरी के प्रेम को स्वीकार कर उन्होंने यह दिखाया कि ईश्वर के लिए भक्ति का मोल सबसे अधिक होता है, न कि बाहरी आडंबरों का।

केवट के साथ उनका व्यवहार सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने एक साधारण नाविक को अपने भाई के समान सम्मान दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए सभी मनुष्य समान थे। यह दृष्टिकोण आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है, जहां भेदभाव और असमानता की समस्याएं अब भी विद्यमान हैं।

श्रीराम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना उनका वनवास है। जब माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, तब श्रीराम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। यह त्याग, कर्तव्य और आज्ञाकारिता का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख-दुख से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। सीता और लक्ष्मण के साथ उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना भी उतनी ही गहरी थी। पंचवटी में शूर्पणखा की घटना और उसके बाद रावण द्वारा सीता हरण ने उनके जीवन को एक नए संघर्ष की ओर मोड़ दिया।

सीता के वियोग में उनका दुःख एक सामान्य मनुष्य की भावनाओं को दर्शाता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हनुमान से उनकी भेंट और उसके बाद सुग्रीव के साथ मित्रता ने उनके संघर्ष को शक्ति प्रदान की। वानर सेना के सहयोग से उन्होंने लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना की।

यह युद्ध केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह अधर्म, अहंकार और अन्याय के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष था। श्रीराम ने यह सिद्ध किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो अंततः विजय उसी की होती है।

रावण के प्रति उनका दृष्टिकोण भी उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। उन्होंने उसे केवल शत्रु के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक महान विद्वान के रूप में भी सम्मान दिया। रावण की मृत्यु से पूर्व लक्ष्मण को उससे शिक्षा लेने के लिए भेजना यह दर्शाता है कि ज्ञान का सम्मान हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए।

वनवास की समाप्ति के बाद श्रीराम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उनका शासनकाल, जिसे रामराज्य कहा जाता है, आज भी आदर्श शासन की परिभाषा माना जाता है। यह वह समय था जब समाज में न्याय, समानता और शांति का वातावरण था। हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था, और राजा तथा प्रजा के बीच गहरा विश्वास था।

रामराज्य की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस समय थी। यह केवल एक आदर्श शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर, न्याय और सम्मान मिलता है। यह हमें यह सिखाता है कि यदि समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए, तो एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है।

श्रीराम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि महानता चमत्कारों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और अपने आचरण की शुद्धता में होती है। उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से लोगों के दिलों में स्थान बनाया।

आज के समय में, जब समाज अनेक नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब श्रीराम के आदर्श हमें एक नई दिशा प्रदान करते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने में है।

अंततः, श्रीराम केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन हैं। उनके आदर्श, उनके विचार और उनका आचरण हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा और मर्यादा को अपनाएं, तो हम न केवल स्वयं को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम सदैव अनुकरणीय रहेंगे और उनका जीवन युगों-युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 13.96 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में नमो लक्ष्मी-नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनांतर्गत 354 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का डीबीटी से वितरण किया

▸▸ मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया का सीमित उपयोग कर पढ़ाई के लिए अधिक समय देने पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रेरणा दी

▸▸ विद्यालय स्तर पर एसएसआईपी अंतर्गत 20 हजार रुपए तक का अनुदान देकर विद्यार्थियों में उद्यमिता के प्रति रुचि विकसित करने का भगीरथ प्रयास : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

▸▸ विद्या समीक्षा केन्द्र में एसएसआईपी 2.0, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट तथा मुख्यमंत्री ज्ञानसेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजनाओं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वस्पर्शी एवं गुणवत्तायुक्त बनाने के संकल्प के साथ गांधीनगर स्थित विद्या समीक्षा केन्द्र में शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता तथा शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा की प्रेरक उपस्थिति में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा उपस्थित महानुभावों के करकमलों से एसएसआईपी 2.0, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मैरिट तथा मुख्यमंत्री ज्ञानसेतु मैरिट स्कॉलरशिप योजना के लगभग 13.96 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 354 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणा से राज्य में कन्याओं की उच्च शिक्षा का प्रमाण बढ़ाने तथा विज्ञान संकाय के प्रति बेटे-बेटियों का झुकाव बढ़ाने के लिए नमो लक्ष्मी तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शुरू की गई हैं।

राज्य सरकार ने अब तक 27.61 लाख विद्यार्थियों को इन योजनाओं के तहत 1871.78 करोड़ रुपए की सहायता दी है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2001 में जब गुजरात की शासनधुरा संभाली, तब उन्होंने कन्या केळवणी (शिक्षा) महोत्सव तथा शाला प्रवेशोत्सव शुरू करवा कर कन्या शिक्षा की ज्योत जगाने के लिए गाँव-गाँव जाकर शिक्षा की भिक्षा मांगी थी। पूर्व में गुजरात में ड्रॉपआउट रेशियो लगभग 34-38 प्रतिशत था, जो आज घटकर केवल 2 प्रतिशत पर आ गया है। आज राज्य के विद्यालय 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लैबोरेटरी जैसी वर्ल्डक्लास सुविधाओं से सज्ज बने हैं, जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने लगी है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि गुजरात के सपूत तथा विश्वनेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'शिक्षित राष्ट्र' के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के शिक्षा क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आया है।

बेटियों के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि बेटियों की शिक्षा आर्थिक स्थिति के कारण अधूरी न रहे; इसके लिए राज्य सरकार ने निरंतर चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से विद्यालयों में बेटियों की संख्या में 6-7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

> **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
>
> ▸▸ प्रधानमंत्री के भगीरथ प्रयासों के परिणामस्वरूप आज राज्य में बेटियों का ड्रॉपआउट रेशियो घटकर केवल दो प्रतिशत पर पहुँचा
>
> ▸▸ राज्य के विद्यालय 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लैबोरेटरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज
>
> ▸▸ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश के शिक्षा क्षेत्र में भी आमूल परिवर्तन आया
>
> ▸▸ विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से विद्यालयों में बेटियों की संख्या में 6-7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात लगातार पाँच वर्ष से स्टार्टअप रैंकिंग में भी पहले स्थान पर है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा काल से ही इनोवेशन के लिए श्रेष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है।

उन्होंने इस संदर्भ में एसएसआईपी 2.0 अंतर्गत विद्यार्थियों के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें प्रोत्साहन सहायता के चेक का वितरण भी किया। ऐसे 735 युवा विद्यार्थियों को कुल 69.69 लाख रुपए की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को वरिष्ठ-ज्येष्ठ समान वात्सल्य भाव से प्रेरणा देते हुए कहा कि छात्र जीवन में सोशल मीडिया का सीमित समय के लिए उपयोग हो और पढ़ाई पर अधिक ध्यान केन्द्रित हो; ऐसा आचरण बच्चों को करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के करकमलों से शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य के 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 354 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरण किया गया, जो इस पारदर्शी सरकार का एक और पारदर्शी कदम है।

डॉ. वाजा ने कहा कि बच्चे को समान तथा विश्व स्तरीय शिक्षा देकर गुजरात विकसित भारत-2047 के सपने को साकार करने के लिए मजबूत आधारस्तंभ बना है। स्टार्टअप यानी उद्यमिता-एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में निरंतर प्रयास है। राज्य के जिन 735 स्टार्टअप इनोवेशन आइडिया का चयन हुआ है और उन पर काम करना है, उन सभी 1400 से अधिक विद्यार्थियों की स्टार्टअप यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुजरात ऐसा राज्य बना है, जो स्कूली स्तर पर स्टार्टअप इनोवेशन के आइडिया पर 20 हजार रुपए तक का अनुदान देता है, जिसका मूल उद्देश्य स्कूल से ही विद्यार्थियों में उद्यमिता के प्रति रुचि विकसित करना है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि नमो लक्ष्मी योजना तथा नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से पिछले 2 वर्ष में स्कूल में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इस योजना की सफलता दर्शाती है। इस सफलता को ध्यान में लेकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा आगामी वर्ष में दोनों योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जब गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आई है, तब शिक्षा केवल अभ्यास नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों का सपना है।

मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ अनेक सकारात्मक तथा परिणामोन्मुखी योजनाओं के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों के अध्ययन तथा जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने जोड़ा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे; इस उद्देश्य से गत वर्ष राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 12708 तथा माध्यमिक विद्यालयों में 9400 शिक्षकों की मेगा भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज स्टार्टअप इकोसिस्टम को गुजरात सरकार विद्यार्थियों के क्लासरूम तक ले गई है, जो नई पीढ़ी के लिए गौरव समान है। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर स्वागत संबोधन करते हुए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मिलिंद तोरवणे ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व तथा शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को इनोवेशन एवं मैरिट द्वारा भविष्य के जिम्मेदार नागरिक के रूप में गढ़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन विभिन्न योजनाओं का उम्दा उद्देश्य है कि वर्ष 2047 के 'विकसित भारत' तथा 'विकसित गुजरात' के निर्माण के लिए विद्यार्थी नवीनता तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा से देश सेवा में अपना अमूल्य योगदान दें।

विद्यालय आयुक्तालय के निदेशक श्री रचित राज ने आभार ज्ञापन किया।

एसएसआईपी 2.0 अंतर्गत विभिन्न विद्यार्थियों ने उनके द्वारा किए गए नए इनोवेशन के बारे में अपने प्रतिभाव व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर उत्तर की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक श्री रंजीत कुमार, शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी सहित प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी सहभागी हुए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का उत्तराधिकार संबंधित भूमि लेन-देन में स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने वाला किसान तथा जन हितकारी निर्णय

▸▸ जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान में राहत देकर 300 रुपए की टोकन स्टाम्प ड्यूटी लेने का किसान-जन हितकारी निर्णय

▸▸ किसानों के लिए खेती की जमीन की उत्तराधिकार संपत्ति की बिक्री में आर्थिक बोझ कम होगा

▸▸ परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे में सरलता आने से विवाद और कोर्ट केस में कमी आएगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी और संपार्श्विक उत्तराधिकारी के बीच होने वाले जमीन संबंधी आंतरिक लेन-देन के लिए जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों में राहत देने का जनहितोन्मुखी निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री के समक्ष समाज के विभिन्न अग्रणियों, किसान संघों तथा किसान संगठनों द्वारा की गई प्रस्तुति पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यह किसान और जन हितकारी निर्णय किया है।

गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 9 के तहत राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी कम करने या माफ करने के प्राप्त अधिकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने खेती की जमीन से संबंधित कुछ मामलों में जंत्री आधारित स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों से राहत देकर 300 रुपए की टोकन स्टाम्प ड्यूटी लागू करने का निर्णय किया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार उत्तराधिकार प्रविष्टि/प्रविष्टियों के तहत संयुक्त कब्जेदारों में से किसी एक या अधिक उत्तराधिकार (मृत मूल खातेदार के प्रत्यक्ष उत्तराधिकार के मामले में यदि एक भी उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो संपार्श्विक उत्तराधिकार) द्वारा अन्य एक या अधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में एक या अधिक चरणों में हक उठाने के मामलों में प्रत्येक हक उठाने/कमी के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

यदि प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित हों, तो उनमें से एक या अधिक के नाम एक या अधिक चरणों में दाखिल करने के मामले में, एक भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो जीवित संपार्श्विक उत्तराधिकारियों में से एक या अधिक उत्तराधिकारियों के नाम दाखिल करने के मामले में प्रत्येक जीवितता में हक दाखिल करने के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

समय के क्रमानुसार एक या अधिक चरण में उत्तराधिकार प्रविष्टि/प्रविष्टियों के अंतर्गत दाखिल हुए संयुक्त खातेदारों द्वारा एक या अधिक चरण में बंटवारा किया जाए (ऐसे उत्तराधिकार से प्रत्यक्ष या उसका अस्तित्व न हो, तब संप्राश्विक उत्तराधिकार दाखिल हुआ हो सकता है), तो प्रत्येक बंटवारे के दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

इसके अलावा खेती की जमीनों के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसमें : जिस मामले में एक भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी जीवित न हो, तो ही संपार्श्विक प्रकार के एक या अधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में एक या अधिक चरणों में हकों को उठाने, जीवन प्रमाणपत्र में नाम/हक दाखिल करने तथा बंटवारे के संबंध में उक्त दर्शाए गए प्रत्येक रूपांतरण दस्तावेज पर 300 रुपए स्टाम्प ड्यूटी वसूली विनियमित करनी होगी।

मुख्यमंत्री के इस जन हितकारी निर्णय के फलस्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारा सरल बनने से कोर्ट केस तथा विवादों में कमी आएगी, वैध दस्तावेजीकरण में वृद्धि होगी और हाल में स्टाम्प ड्यूटी अधिक होने से जो कई लेन-देन गैरदस्तावेजी रहते हैं, उनमें इस सुधार के बाद लोग आसानी से पंजीकरण कराएंगे।

इतना ही नहीं, किसानों को खेती की जमीन की उत्तराधिकार संपत्ति की बिक्री में आर्थिक बोझ घटने से बड़ी राहत मिलेगी और पारदर्शिता एवं स्पष्टता का ध्येय साकार होगा। यानी कि अधिकार पत्र (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिक स्पष्ट बनेंगे और भूमि स्वामित्व अधिकार संबंधी भ्रांतियां कम होंगी।

इस 300 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी से प्रक्रिया तेज तथा व्यावहारिक बनेगी और लोगों को लेन-देन में अधिक सरलता होने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी।

सूरत नगर निगम संघ कार्यालय में सेंधमारी का मामला पुलिस जांच में देरी और अधिकारियों की सुरक्षा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरतः- सूरत नगर निगम के अधिकारियों ने आधी रात को लालगेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थित सूरत नगर निगम भवन में यूनियन कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। इसके विरुद्ध विभिन्न यूनियनों ने 20/11/2025 को लालगेट पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत की जांच सूरत शहर के लालगेट पुलिस क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई थी। लेकिन चार महीने बीत जाने के बावजूद जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह सूरत पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। आमतौर पर आम अपराधियों को पकड़ा जाता है, घुमाकर ले जाया जाता है और उनसे लूटपाट की जाती है, लेकिन इस मामले में, मानो कुछ हुआ ही न हो, पुलिस ने कोई जांच नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत नगर निगम में लगभग तीन लाख कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। ये कर्मचारी अपनी शिकायतें एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकते। कई कर्मचारी सूरत नगर निगम भवन में काम करते हैं। कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए विभिन्न संघ अस्तित्व में आए हैं। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ, जो ब्रिटिश काल में पंजीकृत था जब महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। अखिल भारतीय श्रमिक संगठन, जो 20 वर्ष पूर्व पंजीकृत है। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कांग्रेस, जो महाराष्ट्र में पंजीकृत है। इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार बुट्टाजी थे, जिन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न विभागों और गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। सरदार बुट्टाजी ने वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए इस संघ की स्थापना की थी। एक अन्य संघ नवयुवन कर्मिक सेवा संघ है, जिसके नेताओं ने कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान किया है। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनियनों को पूर्व सूचना दिए बिना आधी रात को यूनियन कार्यालयों के ताले तोड़ दिए और रिश्वत के तौर पर जमा की गई धनराशि के साथ-साथ देश के महान नेताओं की तस्वीरें, राष्ट्रपिता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की तस्वीरों का फ्रेम भी ले गए। इन अधिकारियों ने कर्तव्य का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान भी किया है। यदि नगर निगम चाहता तो यूनियन नेताओं की उपस्थिति में कार्यालय खाली करवा सकता था, लेकिन रात 12:00 बजे पुलिस ने यूनियन नेताओं को गेट पर ही रोक दिया और यूनियन कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। इस संबंध में किरित जे. वाघेला, मोहम्मद इकबाल शेख, हेमंत जे. सोलंकी और नरेश बी. पदाया द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत रेड गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, जिसमें नगर निगम के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

सूरत नगर निगम में कार्यरत लगभग 25 यूनियनों के अनुसार, सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल शेख ने नगर निगम की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उप आयुक्त निधि सिवाच और आयुक्त शालिनी अग्रवाल के प्रशासन के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में सफाई कर्मचारियों को सफाई उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति देने में हुई नाइंसाफी का आरोप लगाया गया था। उप आयुक्त निधि सिवाच ने गुजरात उच्च न्यायालय के नोटिस को नजरअंदाज करते हुए लगभग 78 कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नत कर दिया। इसके विरोध में गुजरात उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने पर उप आयुक्त निधि सिवाच को उच्च न्यायालय में पेश होकर पदोन्नति के आदेश रद्द करने का निर्देश दिया गया। इससे उप आयुक्त निधि सिवाच का अहंकार आहत हुआ और इन यूनियन नेताओं को सबक सिखाने के लिए उन्होंने, आयुक्त शालिनी अग्रवाल और अन्य लोगों ने आधी रात को यूनियन कार्यालयों के ताले तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया। यूनियनें सरकार द्वारा और सरकार की मंजूरी से ही अस्तित्व में आती हैं। तत्कालीन उपायुक्त निधि सिवाच ने सूरत नगर निगम के लगभग 30 हजार कर्मचारियों/अधिकारियों को बिना यूनियन के काम करने का पाप किया है। यहां सवाल उठता है कि गुजरात में कुछ कलेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर निधि सिवाच और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पुलिस को कौन रोक रहा है?

दाहोद से केजरीवाल-मान का गुजरात सरकार पर तीखा प्रहारः आदिवासी किसान और गरीबों के मुद्दों पर घेरा, पंजाब मॉडल का दिया उदाहरण

(जीएनएस)। दाहोद। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाके दाहोद में आयोजित 'विजय विश्वास सभा' राजनीतिक रूप से बेहद अहम मंच बन गई, जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने राज्य की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा के दौरान दोनों नेताओं ने आदिवासी समाज, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 30 वर्षों में गुजरात की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आदिवासी समाज सबसे ज्यादा उपेक्षित और शोषित वर्ग बनकर रह गया है। केजरीवाल के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों में न तो शिक्षा की उचित व्यवस्था है और न ही रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि

सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है और गरीब परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं।

उन्होंने मजदूरों की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में दिनभर मेहनत करता है, लेकिन उसे उचित मजदूरी नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी योजनाओं में भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आदिवासी नेता चैतर वसावा को गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने के कारण जेल भेजा गया, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है।

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसानों की स्थिति भी बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर नहीं मिल पाता और कई बार उन्हें महीनों तक भुगतान का इंतजार करना पड़ता है। सिंचाई के लिए पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इतने वर्षों के शासन के बावजूद सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है।

केजरीवाल ने अपने भाषण में पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 2022 से पहले हालात कुछ ऐसे ही थे, जहां आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच सत्ता का अदला-बदली चलता रहा। उन्होंने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने बदलाव का फैसला किया और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया। इसके बाद से राज्य में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे उनकी लागत कम हुई है और आय में सुधार हुआ है। साथ ही, फसल का भुगतान 24 घंटे के भीतर करने की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया गया है और आम लोगों को बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।

सभा में मौजूद भगवंत मान ने भी गुजरात सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब में जो वादे किए थे, उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि चार साल के भीतर ही सरकार ने किसानों, मजदूरों और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

भगवंत मान ने बताया कि पहले पंजाब में भी किसानों को रात में बिजली मिलती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब दिन में 8 घंटे बिजली की नियमित आपूर्ति की जा रही है, जिससे खेती करना आसान हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में 90 प्रतिशत घरों का बिजली बिल शून्य आता है, क्योंकि सरकार ने बिजली को मुफ्त कर दिया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने हर परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर प्रदान किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकता है और उसका खर्च सरकार वहन करती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खातों में हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो पंजाब की तरह यहां भी सभी वादों को पूरा किया जाएगा।

पूरी सभा के दौरान दोनों नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी राजनीति केवल वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि 'गारंटी' पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जनता को अब यह तय करना है कि वह पुराने राजनीतिक ढांचे के साथ रहना चाहती है या फिर एक नए विकल्प को मौका देना चाहती है।

दाहोद की इस सभा ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में गुजरात की राजनीति में मुकाबला और अधिक तीखा होने वाला है। आदिवासी, किसान और आम नागरिकों के मुद्दों को केंद्र में रखकर विपक्ष ने अपनी रणनीति को मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों का असर आने वाले चुनावों में किस तरह दिखाई देता है और जनता किस दिशा में अपना समर्थन देती है।

पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस (20937) के मार्ग में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचित किया जाता है कि उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर–रेवाड़ी मुख्य रेल खंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 95 एवं 106 पर 'कट एंड कवर' विधि से रेल अंडर ब्रिज (RUB) निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उक्त कार्य हेतु दिनांक 10 मई, 2026 को प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 20:00 बजे तक (10 घंटे) का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

उक्त ब्लॉक के कारण दिनांक 09 मई, 2026 को पोरबंदर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20937 पोरबंदर–दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग फुलेरा–जयपुर–अलवर–रेवाड़ी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग फुलेरा–रिंगस–रेवाड़ी होकर संचालित की जाएगी। इस अवधि के दौरान उक्त ट्रेन जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर एवं खैरथल स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस अस्थायी परिवर्तन को ध्यान में रखें। ट्रेनों के संचालन में संभावित विलंब की स्थिति में यात्री NTES ऐप अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक सूचना प्रणालियों जैसे - वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें। पश्चिम रेलवे द्वारा संबंधित यात्रियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचना प्रदान की जाएगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	चलाने के दिन	से विस्तृत
09447	अहमदाबाद – पटना (साप्ताहिक)	बुधवार	29.04.2026
09448	पटना - अहमदाबाद (साप्ताहिक)	शुक्रवार	01.05.2026
09425	साबरमती – हरिद्वार (साप्ताहिक)	सोमवार	29.06.2026
09426	हरिद्वार - साबरमती (साप्ताहिक)	मंगलवार	30.06.2026

समय, ठहराव और बनावट के बारे में पूरी जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन नंबर 09447 के बढ़ाए गए फेरों के लिए बुकिंग ता. 29.03.2026 से शुरू होगी, जबकि ट्रेन नंबर 09425 के बढ़ाए गए फेरों के लिए बुकिंग ता. 28.03.2026 से सभी PRS काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक और फॉलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

पश्चिम रेलवे – रतलाम

ट्रांसपोर्टेशन कार्य

संख्या : W/623/5/3/NIT. दिनांक : 24.03.2026, मंडल रेल प्रबंधक/मंडल कार्यालय (कार्य–लेखा शाखा) पश्चिम रेलवे, रतलाम, के लिये "खुली निविदा" ई–निविदा के माध्यम से वेबसाईट : www.ireps.gov.in पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है। **ई–टेंडरिंग :** RTM-2025-26-202, **कार्य का नाम :** रतलाम डिविजन– डीईएन/डब्ल्यू/रतलाम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दैनिक ट्रैक रखरखाव के लिए भारतीय रेल के विभिन्न डिपो/स्टेशनों/स्थानों से जीडीए–एनएडी खंड के एनएडी डिपो और विभिन्न स्टेशनों तक विभिन्न प्रकार की पथ सामग्री जैसे रेल्स, स्लीपर्स, फिटिंग्स, स्विच, क्रॉसिंग, ग्लूइड ज्वाइंट, एसईजे आदि का परिवहन। **अनुमानित मात्रा :** निविदा सूची के अनुसार, **अनुमानित लागत :** ₹4,28,34,535.08/–, **बयाना राशि :** ₹8,56,700/–, **कार्य समापन अवधि :** 36 माह, **समान प्रकार के कार्य :** कोई परिवहन कार्य/सिविल इंजीनियरिंग/ट्रैक कार्य। **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि :** 23.03.2026, **निविदा खुलने की तिथि :** 17.04.2026, • विस्तृत निविदा सूचना, अहाता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।

SNP-520

हमें फॉलो करें : x.com/WesternRly

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री ने महिलाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच दिया

▶▶ इस विधेयक में विवाह, तलाक, लिव-इन संबंधों तथा विरासती-पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अभूतपूर्व कानूनी रक्षा दी गई

▶▶ गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 के जरिये राज्य के नागरिकों को 'दादा' का समानता का नजराना

▶▶ चैत्री नवरात्रि के मध्य यह विधेयक पारित होने के बाद गुजरात की हर नारी कह सकेगी, "मैं एक नारी हूँ, आधुनिक समय की नारी हूँ, अबला या शक्तिहीन नहीं हूँ, आद्यशक्ति हूँ, अंबिका हूँ !"

(जीएनएस)। गांधीनगर : वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने (मार्च) में जब लोग पूरे वर्ष का लेखा-जोखा करने में व्यस्त थे, तब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 विधानसभा में प्रस्तुत कर महिलाओं का पुराना ऋण चुकाया, महिलाओं के जीवन से असमानता को दूर किया और समानता का हिसाब पूरा कर दिया।

यह विधेयक पारित कर सरकार ने नारियों के सम्मान को झंकृत करने वाले एक संस्कृत श्लोक का स्मरण कराया।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥

अर्थात् जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ सभी कार्य विफल जाते हैं।

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित कर गुजरात सरकार ने इस श्लोक को चरितार्थ किया और कानूनी संरक्षण देकर नारियों का अभूतपूर्व सम्मान किया है।

गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित कर राज्य की महिलाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है और इस बात की प्रतीति कराई है कि महिलाओं के जीवन के सभी चरणों में यह सरकार उनके अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा करती है तथा यह सरकार किसी भी जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी महिलाओं को कानूनी संरक्षण देने को कटिबद्ध है।

यह विधेयक प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री ने गुजरात विधानसभा में गर्व से कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार साहब के एक एवं अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' का विचार दिया है, वह विचार ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मूल है। यदि देश में समान कानून, विकास के समान अवसर न हों, तो यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' बन ही नहीं सकता। अब विकसित भारत-2047 तक के इस अमृतकाल में देश को समानता का अमृत यूसीसी से देने का प्रधानमंत्री ने संकल्प किया है।"

इस विधेयक में विवाह, तलाक तथा विरासती (पैतृक) संपत्ति जैसे मुद्दों पर सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए, किसी के साथ कोई भी अन्याय न हो; इसे ध्यान में रखकर एक समान कानूनी ढाँचा सुझाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बलपूर्वक कहा था, "यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है; बल्कि समानता, न्याय एवं एकता के राष्ट्रीय संकल्प को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अधिक मजबूत बनाने का हमारा संकल्प है।"

इस विधेयक के जरिये विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, तलाक के लिए समान नियम, पुत्र या पुत्री; सभी को समान विरासती अधिकार के प्रावधान और इन प्रावधानों के पालन के लिए दंड के प्रावधान के साथ इसके कड़े क्रियान्वयन आदि इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

हर धर्म तथा परंपरा के अनुसार हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और पंजीकरण न कराने पर दंड का प्रावधान रहेगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार के कानून लागू हैं। उनका अध्ययन करके इस विधेयक के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस कानून से किसी धार्मिक विधि तथा परंपरा में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, बल्कि समान नागरिक संहिता केवल कानूनी पहलुओं को नियमित करती है।

गुजरात समान नागरिक संहिता-2026 की महत्वपूर्ण बातें

संविधान की धारा 44 के अनुसार राज्य के लिए सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लाने का प्रयास करने का जो प्रावधान है, उसके अनुसंधान में गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर दिए गए निर्णयों में यूसीसी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण तथा सजा

इस विधेयक में विवाह के बाद 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से विवाह का पंजीकरण कराने का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण न करवाने पर 10,000 रुपए तक दंड हो सकता है। जबरन/धमकी/धोखाधड़ी से विवाह करने के मामले में 7 वर्ष तक की सजा तथा एक से अधिक विवाह के मामले में भी 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण से विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है। महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की रक्षा होती है। व्यक्ति की वास्तविक वैवाहिक स्थिति दर्ज होती है। इससे गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से होने वाले विवाह के मामलों को टाला जा सकेगा।

तलाक-समानता तथा नियंत्रण

कोर्ट द्वारा तलाक के बाद पंजीकरण अनिवार्य है। कोर्ट से बाहर हुआ तलाक अमान्य रहेगा। कोर्ट से बाहर तलाक लेने के मामले में 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और महिला को किसी भी शर्त के बिना पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है। अनिवार्य पंजीकरण तथा कोर्ट से मान्यता प्राप्त तलाक प्रक्रिया से धोखाधड़ी, अवैध तलाक तथा झूठी वैवाहिक स्थिति दर्शाने को रोकेगी और भविष्य के विवाहों में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

भरण-पोषण तथा विरासती अधिकार में समानता

सभी धर्मों के लिए भरण-पोषण के समान प्रावधान के कारण महिलाओं को विशेष सुरक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त; समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के पुत्र और पुत्री को समान अधिकार दिया गया है। पुत्र और पुत्री को समान पारिवारिक अधिकार देने से लिंग समानता, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा तथा समाज में न्यायी एवं समान व्यवस्था स्थापित होगी।

लिव-इन संबंधों का नियमन तथा सजा

लिव-इन संबंधों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने पर 3 महीने तक की कैद तथा 10,000 रुपए दंड हो सकता है।

यदि लिव-इन संबंध में रहे व्यक्तियों की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच हो, तो पंजीकरण की जानकारी उनके माता-पिता को दी जाएगी। जबरन/धमकी/धोखाधड़ी से लिव-इन के लिए सहमति लेने के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है। अवयस्क (किशोर) के साथ लिव-इन संबंध में पॉक्सो एक्ट के अनुसार सजा का प्रावधान है। इसके अलावा; पहले से विवाहित होने के बावजूद लिव-इन संबंध में रहने वाले के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है।

लिव-इन रिलेशनशिप में महिला को कानूनी संरक्षण

इस विधेयक में महिला को भरण-पोषण तथा बच्चे को कानूनी मान्यता दी गई है। पंजीकरण से लिव-इन संबंधों का नियमन करने में मदद मिलेगी। लिव-इन पार्टनर द्वारा त्याग किया जाए, तब महिला को भरण-पोषण मिल सकेगा। लिव-इन संबंध में जन्मे बच्चे के भरण-पोषण, पहचान तथा विरासती अधिकारों का अधिक बेहतर तरीके से संरक्षण हो सकेगा।

समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 तैयार करने के लिए गहनतापूर्वक अध्ययन

समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति द्वारा विभिन्न कानूनों, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के समय-समय पर दिए गए फैसलों और उत्तराखंड राज्य के यूसीसी तथा विश्व के अन्य देशों के इस प्रकार के मॉडल कानूनों का अध्ययन किया गया था और इन सबके निष्कर्ष के रूप में तैयार हुआ गुजरात यूसीसी विधेयक-2026 विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बहुमत से पारित हुआ।

समान नागरिक संहिता-2026 में इन फैसलों को ध्यान में लिया गया

ऐतिहासिक फैसले :

- ▶▶ मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम (1985)
- ▶▶ सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार (1995)
- ▶▶ शायराबानो विरुद्ध भारत सरकार व अन्य (2017)
- ▶▶ शबनम हाशमी विरुद्ध भारत सरकार (2014)
- ▶▶ मुमताज आलम विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2023)
- ▶▶ एग्नेस विरुद्ध रेजीना थॉमस (2010)
- ▶▶ मायरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2021)
- ▶▶ अलिया विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2024) का भी अध्ययन किया गया।

भारतीय कानून :

- ▶▶ हिंदू विवाह अधिनियम 1955
- ▶▶ भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
- ▶▶ पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936
- ▶▶ विशिष्ट विवाह अधिनियम 1954
- ▶▶ आनंद विवाह अधिनियम 1909
- ▶▶ आर्य विवाह मान्यता अधिनियम 1937
- ▶▶ मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) क्रियान्वयन अधिनियम 1937
- ▶▶ विदेशी विवाह अधिनियम 1969
- ▶▶ भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
- ▶▶ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
- ▶▶ मुस्लिम विवाह विसर्जन अधिनियम 1939
- ▶▶ ईसाई तलाक अधिनियम 1869
- ▶▶ महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005
- ▶▶ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006
- ▶▶ भारतीय न्याय संहिता 2023
- ▶▶ यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 का अध्ययन किया गया।

भारत के अलावा विश्व के विभिन्न देशों के कानूनों को भी ध्यान में लिया गया

वैश्विक मॉडल

- ▶▶ फ्रेंच सिविल कोड (नेपोलियन कोड) 1804
- ▶▶ जर्मनी बर्गर्लिचेस गेसेट्जबच (बीजीबी) 1900
- ▶▶ तुर्की सिविल कोड 2002
- ▶▶ नेपाल – राष्ट्रीय नागरिक (संहिता) अधिनियम 2017
- ▶▶ अजरबैजान गणतंत्र की परिवार संहिता 1999 का भी अध्ययन किया गया।

गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित होने के बाद राज्य की महिलाएँ उनमें मौजूद शक्ति का अनुभव कर सकेंगी तथा हर नारी गरिमामपूर्वक एवं सिर उठाकर कह सकेगी :

बालिका अहं बालिका नव युग जनिता अहं बालिका ।
नाहमबला दुर्बला आदिशक्ति अहमम्बिका ।।

अर्थात् मैं एक नारी हूँ, आधुनिक समय की नारी हूँ, अबला या शक्तिहीन नहीं हूँ, आद्यशक्ति हूँ, अंबिका हूँ।

राज्य में पट्टेदारों के लिए खरीद मूल्य भुगतान की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई गई

किसानों के प्रति मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की विशिष्ट संवेदना

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात गणोत वहिवट (गुजरात पट्टा प्रशासन) तथा कृषि भूमि अधिनियम की धारा 32 अंतर्गत पट्टेदारों के लिए खरीद मूल्य भुगतान करने की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का संवेदनास्पर्शी निर्णय किया है।

गुजरात पट्टा प्रशासन तथा कृषि भूमि अधिनियम 1948 के अनुसार धारा 32जी अंतर्गत किसानों/पट्टेदारों के लिए तहसीलदार तथा कृषि आयोग द्वारा खरीद मूल्य निर्धारित किया जाता है और यह मूल्य कानूनी समयसीमा में भुगतान करना होता है।

पट्टेदारों द्वारा अज्ञानता के कारण खरीद मूल्य का भुगतान न किए जाने के मामले ध्यान में आए हैं। ऐसे मामलों में उन्हें वैध मालिक नहीं माना जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा कृषि भूमि बिक्री, जमीन को गैरकृषि करने के मौकों पर जो मुश्किलें पेश आती हैं, उनका निवारण करने के लिए राज्य सरकार ने किसानों के हित में समय-समय पर ऐसे खरीद मूल्य भुगतान करने की छूट देकर समयसीमा बढ़ाने के निर्णय किए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने किसानों द्वारा की गई प्रस्तुति तथा 31 दिसंबर 2025 तक के मामलों की शेष संख्या को ध्यान में लेकर किसानों के पक्ष में अधिक नरम रवैया दर्शाते हुए पट्टेदारों को खरीद मूल्य भुगतान करने की अवधि 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।

इस किसान हितोन्मुखी निर्णय के फलस्वरूप किसान/पट्टेदार खरीद मूल्य भुगतान कर वैध मालिक बन सकेंगे।

2332 किलो ड्रग्स का रहस्य: 'चूहों ने खा लिया' सरकारी दलील पर उठे बड़े सवाल, CAG रिपोर्ट से मचा हड़कंप

(जीएनएस)। गुजरात। कानून-व्यवस्था और नशा नियंत्रण के मोर्चे पर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में यह सामने आया कि पुलिस हिरासत में रखा गया हजारों किलोग्राम नशीला पदार्थ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जब इस गंभीर मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा गया, तो संबंधित विभाग की ओर से दिया गया जवाब और भी हैरान करने वाला था—कहा गया कि ड्रग्स या तो चूहे खा गए या फिर नमी के कारण उसका वजन कम हो गया। रिपोर्ट के आंकड़े इस पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा देते हैं। अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच गुजरात पुलिस ने कुल 6510.54 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया था। नियमानुसार, जब्त किए गए नशे को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाना चाहिए, ताकि उसका दोबारा दुरुपयोग न हो सके। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार केवल 4177.86 किलोग्राम नशीले पदार्थ को ही नष्ट किया गया। इसका मतलब है कि 2332.68 किलोग्राम ड्रग्स—जो कुल जब्ती का लगभग 35 प्रतिशत है—का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है।

जब इस भारी अंतर पर सवाल उठे, तो गृह विभाग ने तीन प्रमुख कारणों का हवाला दिया। पहला, यह कि मालखानों में उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण चूहों और अन्य कीड़ों ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को नुकसान पहुंचाया, विशेषकर गांजा जैसी चीजों को। दूसरा, विभाग का कहना था कि जब भांग या अफीम के पौधे जब्त किए जाते हैं, तो उनमें नमी होती है, जो समय के साथ सूख जाती है, जिससे वजन में काफी कमी आ जाती है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि बड़ी मात्रा में गांजा चोरी भी हो गया है। इन दलीलों ने मामले को और संदिग्ध बना दिया है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का गायब होना केवल प्राकृतिक कारणों या चूहों की वजह से संभव नहीं लगता।

पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल–काठगोदाम स्पेशल को 29 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम–मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 30 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
2. ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल–कानपुर अनवरगंज स्पेशल को 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 27 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
3. ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी स्पेशल को 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09006 भिवानी – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 30 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09025 वलसाड – दानापुर स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09026 दानापुर–वलसाड स्पेशल को 30 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09031 उधना–हसनपुर रोड अनारक्षित स्पेशल को 28 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09032 हसनपुर रोड–उधना अनारक्षित स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
6. ट्रेन संख्या 09065 सूरत – छपरा स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09066 छपरा–सूरत स्पेशल को 01 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
7. ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना स्पेशल को 29 अप्रैल, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09448 पटना–अहमदाबाद स्पेशल को 01 मई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
8. ट्रेन संख्या 09425 साबरमती–हरिद्वार स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार – साबरमती स्पेशल को 30 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
9. ट्रेन संख्या 09309 इंदौर–हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल को 28 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 22 एवं 24 मई, 2026 को नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09310 हज़रत निज़ामुद्दीन–इंदौर स्पेशल को 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 23 एवं 25 मई, 2026 को नहीं चलेगी।
10. ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर–पटना स्पेशल को 25 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09344 पटना–डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल को 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09425 एवं 09309 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28.03.2026 से प्रारंभ होगी, जबकि ट्रेन संख्या 09075, 09185, 09005, 09025, 09065, 09447 एवं 09343 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29.03.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑपरेशन "रेल प्रहरी" : संवेदनशील मामले में त्वरित कार्यवाही

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा "ऑपरेशन रेल प्रहरी" के अंतर्गत उच्च स्तरीय सतर्कता एवं त्वरित समन्वय के माध्यम से एक नाबालिग लड़की के अपहरण से संबंधित गंभीर प्रकरण का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.03.2026 को वर्सोवा पुलिस स्टेशन, मुंबई में अपराध संख्या 0325/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला पंजीकृत किया गया था। प्राप्त इनपुट के अनुसार, अपहृत नाबालिग को एक युवक द्वारा ट्रेन संख्या 12480 (सूर्यनगरी एक्सप्रेस) के सामान्य श्रेणी कोच में अहमदाबाद की ओर ले जाया जा रहा था।

मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए RPF अहमदाबाद द्वारा तत्काल बहु-स्तरीय निगरानी एवं समन्वित कार्रवाई प्रारंभ की गई। संबंधित संदिग्धों के विवरण एवं फोटोग्राफ का त्वरित प्रसारण कर सभी बीट स्टाफ को अलर्ट किया गया

तथा वायरलेस संचार माध्यमों के जरिए सतत निगरानी सुनिश्चित की गई।

ट्रेन के अहमदाबाद स्टेशन पर आगमन के पश्चात निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, अहमदाबाद श्री प्रवीण कुमार के निर्देशन में उपनिरीक्षक श्री पीयूष चौधरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, महेश परमार, राकेश सिंह एवं कांस्टेबल प्रदीप द्वारा सुनियोजित एवं सघन तलाशी अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान उपलब्ध विवरण के आधार पर संदिग्ध युवक एवं नाबालिग लड़की को चिन्हित कर विधिवत हिरासत में लिया गया। तत्पश्चात की गई पूछताछ में नाबालिग (उम्र 16 वर्ष, निवासी अंधेरी पश्चिम, मुंबई) एवं आरोपी युवक शिवम (उम्र 19 वर्ष, निवासी रायबरेली, उत्तर प्रदेश) द्वारा घर से भागकर आने की पुष्टि की गई।

प्रकरण में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोनों को अग्रिम जांच हेतु GRP अहमदाबाद को सुपुर्द किया गया तथा संबंधित वर्सोवा पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने RPF टीम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से नाबालिग की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जो यात्रियों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 5461 रुपये और चांदी वायदा में 11586 रुपये की गिरावटः क्रूड ऑयल वायदा में 1 रुपये का सुधार

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 20 से 26 मार्च के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 6184243.35 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 438856.03 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 5745382.5 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 34289 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में साप्ताहिक आधार पर कुल प्रीमियम टर्नओवर 57155.97 करोड़ रुपये का हुआ।

आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 327531.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 148302 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 148457 रुपये के उच्च और 129595 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 144954 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5461 रुपये या 3.77 फीसदी की गिरावट के साथ 139493 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 6059 रुपये या 5.11 फीसदी औंधकर 112479 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 731 रुपये या 4.92 फीसदी गिरकर 14121 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 147598 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 148600 रुपये के उच्च और 129312 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में यह वायदा 4896 रुपये या 3.38 फीसदी लुढ़ककर 140121 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 147499 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 149486 रुपये के उच्च और 129500 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 145452 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5626 रुपये या 3.87 फीसदी की

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 438856 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 5745382 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 327531 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 34289 पॉइंट के स्तर पर

गिरावट के साथ 139826 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 239948 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 240000 रुपये और नीचे में 199643 रुपये पर पहुंचकर, 231460 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 11586 रुपये या 5.01 फीसदी लुढ़ककर 219874 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 12408 रुपये या 5.24 फीसदी गिरकर 224366 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 12580 रुपये या 5.31 फीसदी औंधकर सप्ताह के अंत में 224399 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में 36272.63 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 9.25 रुपये या 0.83 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1121.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मार्च वायदा 1.15 रुपये या 0.38 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 307.75 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 2.55 रुपये या 0.77 फीसदी बढ़कर 333 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 6.8 रुपये या 3.65 फीसदी बढ़कर 193.05 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 74961.54 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 8851 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9620 रुपये और नीचे में 8072 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 1 रुपये या 0.01 फीसदी के सुधार के साथ 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा बिना बदलाव के 8999 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ही स्थिर रहा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 292.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 297.5 रुपये और नीचे में 268.3 रुपये पर पहुंचकर, 294.5 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 13.4 रुपये या 4.55 फीसदी गिरकर 281.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 13.3 रुपये या 4.52 फीसदी लुढ़ककर 281.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 973.4 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 16.5 रुपये या 1.7 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 989.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 224949.13 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 102582.43 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 30371.36 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3228.71 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 131.15 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2541.41 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 55162.71 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 19660.98 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 2525 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 21229 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 2804 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 29724 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 13894 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5854 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 15027 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 53662 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15068 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 23269 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 33754 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 35473 के उच्च और 33754 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 28 पॉइंट घटकर 34289 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।